

भारत का राजपत्र The Gazette of India असाधारण EXTRAORDINARY भाग II-खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) Part II – Section 3–Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1701, नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2008/अग्रहायण 11, 1930 No. 1701, NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2008/AGRAHAYANA 11, 1930						
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )	(1)	(2)	(3)			
( सड़क पारवहन आर राजमांग विमांग ) अधिसूचना	61कक	72ख	हिमाचल प्रदेश राज्य			

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2834( अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों को जो अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिये गये हैं उक्त सारणी में उपदर्शित उनकी तत्स्थानी क्रम संख्यांक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक, और उनके वर्णन सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

## सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्याक	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक	राष्ट्रीय राजमार्ग विवरण
(1)	(2)	(3)
13ज	20क	रानीताल, देहरा को जोड़ने वाले राजमार्ग 20 के जंक्शन पर नागरोटा से आरंभ होकर हिमाचल प्रदेश में राजमार्ग 70 के जंक्शन पर मुबारकपुर पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

हिमाचल प्रदेश राज्य गें राजबन शिलाह को जोड़ने वाले राजमार्ग 72 के जंक्शन पर पौन्टा से आरम्भ होकर उत्तराखण्ड में मीनस ट्यूनी से होकर गुजरता हुआ हिमाचल प्रदेश में हटकोटी पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा.सं. एन एच - 14012/9/2008-पी. एण्ड एम.] सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways) NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2008

S.O. 2834(E). – In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the Highways specified in the columns (2) and (3) of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

113.30

113/18

TABLE		(1)	(2) (3)		
Sl. No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway Number	Description of National Highways		72B	The highway starting from Paonta at the Junction of NH 72 connecting Rajban, Shillai in the State of
(1)	(2)	(3)			Himachal Pradesh and passing through
13H	20A	The highway starting from Nagrota at the Junction of NH 20 Connecting Ranital, Dehra and terminating at Mubarikpur at the Junction of NH 70 in Himachal Pradesh.		-	Minus, Tuini in Uttarakhand and terminating at Hatkoti in Himachal Pradesh. No. NH-14012/9/2008-P&M] Saroj Kumar Dash, Jt. Secy.